M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

क.मुख्या/उद्यान/2019–20/4259 भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2019

(केवल अंतकार्यालयीन)

प्रसारण क.–2

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक,
समस्त.

**विषयः**–दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये पौधे–बीजू एवं ग्राफटेड की अनुमोदित दरें ।

**संदर्भः**– 1.निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत प्राप्त आफर्स दिनांक 30.8.2019

2.निगम मुख्यालय का पत्र कमांक मुख्या/उद्यान/2019–20/3639 दिनांक 22.10.2019

निगम द्वारा दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये पौधे–बीजू एवं ग्राफटेड के प्रदाय के लिये दिनांक 30.8.2019 तक रेट कन्ट्रेक्ट आफर प्रस्ताव आमंत्रित किये गये। रेट कान्ट्रेक्ट आफर की प्रति निगम की वेबसाईट से डाउनलोड कर, तदानुसार रेट कान्ट्रेक्ट आफर दस्तावेज में दर्शायी गई शर्तो के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

प्राप्त प्रस्तावों के कम में प्रदायकों द्वारा निगम की स्वीकृत/प्रतिप्रस्तावित दरों पर सहमति एवं अनुबंध निष्पादित किये गये है ऐसे प्रदायकों की दरों का अनुमोदन संदर्भित पत्र कमांक 2 से प्रसारित किया गया है। मेसर्स जैन इरीगेशन सिस्टम लि. जलगांव द्वारा तोतापुरी आम के पौधें निगम की प्रतिप्रस्तावित दर पर प्रदाय करने हेतु सहमति दी गई है तथा अनुबंध निष्पादित किया गया है। अतः मेसर्स जैन इरीगेशन सिस्टम लि. जलगांव निम्नानुसार दरों का अनुमोदन निम्नानुसार जारी किया जाता है :

| कं | सामग्री का नाम | किस्म | विकय दर प्रति पौधा (निगम के 3 प्रतिशत मार्जिन सहित ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mango( Aam) Grafted | तोतापुरी | 49.9 |

**प्रदायगी की मुख्य शर्ते निम्नानुसार हैः–**

1. वर्तमान में म.प्र. में पौधों पर कोई टेक्स लागू नहीं हैं, अतः तदनुसार कय एवं विकय दरें निर्धारित है।
2. विकय दरों में निगम का 3 प्रतिशत मार्जिन सम्मिलित है एवं दरें विकास खण्ड स्तर पर पौधा प्रदाय करने की है ।
3. जिला कार्यालय से प्राप्त मांग अनुसार पौधा के प्रदाय आदेश मुख्यालय द्वारा जारी किये जायेंगे । जिला प्रबंधक मुख्यालय को मांग भेजते समय पौधों की प्रदायगी समयावधि एवं यदि केता विभाग द्वारा किसी प्रदायक विशेष की अनुशंसा की है तो उसका भी उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में मुख्यालय को मांग अनुशंसित करेंगे। ऐसे पत्र की प्रति संबंधित केता विभाग को अनिवार्यतः दी जायेगी।
4. जो विकय दर निगम द्वारा प्रसारित की जा रही है वह प्राईस फाल क्लास के अन्तर्गत है अर्थात यदि निगम द्वारा स्वीकृत विकय दरों से कम दरों पर प्रदायक द्वारा पौधों का प्रदाय किया जाता है एवं इसके प्रमाण निगम को उपलब्ध होते हैं तो वह विकय दर तदनुसार निगम में लागू मानी जायेगी एवं निगम पूर्व में किये गये समस्त व्यवहारों में उक्त दर को लागू मानते हुए अन्तर की राशि की वसूली कर सकेगा एवं भविष्य में ऐसी कम दर पर प्रदाय करने हेतु संबंधित प्रदायक बाध्य रहेगा, अतः सभी क्षेत्रीय

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055



/जिला प्रबंधकों से अपेक्षा है कि वह बाजार में प्रचलित दरों पर सतत निगरानी रखें एवं तद्नुसार कार्यवाही रखें ।

5. पौधों की प्रदायगी से पूर्व यदि क्रेता विभाग द्वारा नर्सरी निरीक्षण किये जाने के निर्देश प्राप्त होते हैं तो क्रेता विभाग द्वारा गठित समिति से नर्सरी/लेब का निरीक्षण करवाया जावे एवं निर्धारित गुणवत्ता अनुसार पौधों का चयन किया जाये। यदि अपरिहार्य कारणवश प्रदायगी के समय नर्सरी /लेब का निरीक्षण क्रेता विभाग द्वारा नहीं किया गया है तो प्रदाय स्थल पर पौधों का स्पाट निरीक्षण करवाया जावे ताकि गुणवत्ता अनुरूप पौधों का चयन क्रेता विभाग द्वारा किया जा सके ।

6. मुख्यालय के आदेश के बिना कोई भी प्रदायगी मान्य नहीं की जावेगी एवं किसी भी स्थिति में संबंधित विभाग को निगम देयक बिना मुख्यालय की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किये जावेगें ।

7. क्रेता/विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर/सील सहित पावती प्राप्त की जायेगी । पावती में पौधों के मापदण्ड , संख्या पैकिंग एवं जीवित /मृत पौधों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा । क्रेता विभाग द्वारा पावती जारी करने के पश्चात किसी भी प्रकार के क्लेम हेतु निगम उत्तरदायी नहीं होगा ।

8. पावती एवं भुगतान प्राप्त होने के पश्चात "भुगतान पश्चात भुगतान" के आधार पर प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग से राशि प्राप्त होने के सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।

"देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदायित पौधों के संबंध में क्रेता विभाग से संतुष्टि /भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर सामान्यतः 60 दिवस में किया जावेगा ।"

9. यदि क्रेता विभाग द्वारा पौधों के प्रदाय को अस्वीकृत किया जाता है तो प्रदायक द्वारा स्वयं के खर्च पर निगम द्वारा दी गई समय सीमा में पौधों का वापस लेना होगा तथा इसके लिये निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा ।

10. यदि प्रदायित पौधों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निराकरण संबंधित प्रदायक द्वारा 7 दिवस में किया जाना आवश्यक होगा ।

11. निम्न परिस्थितियों में प्रदाय पौधों को अस्वीकृत किया जा सकेगा–
    अ. मापदण्ड अनुरूप पौधे न होने एवं पौधे रोगग्रस्त एवं मृत होने की दशा में ।
    ब. निर्धारित समय सीमा में पौधों की प्रदायगी न करने की दशा में ।

12. निगम द्वारा आदेशित मात्रानुसार पौधों का प्रदाय क्रेता विभाग/निगम द्वारा दर्शाये स्थल तक निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से पहुँचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी । प्रदायक द्वारा निर्धारित समय–सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में क्रेता विभाग की सहमति होने के पश्चात ही पौधों के प्रदायकों को मान्य किया जावेगा ।

13 प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलम्ब किया जाता है एवं विलम्ब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिये प्रदायक की जवाबदारी होगी । निगम के प्रबंध संचालक ऐसे प्रदायक को निगम में आफर प्रस्तुत करने के लिये 3 से 5 वर्षों के लिये वंचित भी कर सकते हैं प्रबंध संचालक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होकर संबंधित प्रदायक पर बंधनकारी होगा ।

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055



14. संलग्न दरें दिनांक 31.3.2020 एवं आगे के लिये लागू रहेगी । आगे का अर्थ यह है कि जब तक समान प्रकार के पौधों की आगामी दरें जारी नहीं हो जाती, तक तक यह दर लागू होगी और जिस दिन नवीन दरें लागू की जायेंगी, उस दिन दर अनुमोदन पत्र में उल्लेखानुसार जारी दरें स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।

प्रदायगी की शेष शर्ते आफरकर्ता द्वारा निष्पादित अनुबंध एवं संलग्न आरसीओ के अनुसार यथावत रहेंगी ।

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)
22/11/19

प्रतिलिपिः– 4260 / 22-11-19

1. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया फल पौधों की दरों के अनुमोदन के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराने का कष्ट करे।
2. आयुक्त , संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित
3. महाप्रबंधक लेखा, निगम मुख्यालय, भोपाल
4. जिला प्रबंधक ,समस्त
5. मे. जैन इरीगेशन सिस्टम लि. जलगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)
22/11/19